

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +4298
सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

+4298. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने झारखंड राज्य के लिए एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के अंतर्गत परियोजनाएं मंजूर की हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना मंजूरी के शासी नियमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) झारखंड राज्य में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत स्थलों की सूची क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "एक विरासत को अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान" परियोजना प्रारंभ की है जो पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों को पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए एक सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से वहां पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। इस परियोजना का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियों, ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठनों, निजी व्यक्तियों तथा अन्य हितधारकों को 'स्मारक मित्र' बनने और अपनी रुचि तथा सीएसआर के अंतर्गत एक स्थाई निवेश मॉडल के रूप में व्यवहार्यता के अनुसार इन स्थलों में आधारभूत और उच्च पर्यटक सुविधाओं का विकास और उन्नयन करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्हें इन स्थलों के प्रचालन एवं रखरखाव का कार्य भी करना होगा।

इस परियोजना के अंतर्गत स्मारक मित्रों के चयन और छटनी, परियोजना प्रस्तावों की जांच तथा अनुमोदन, नियमित अंतराल पर परियोजना प्रक्रिया की निगरानी तथा कार्यान्वयन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रबंधन संरचना प्रदान की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

- सचिव (पर्यटन मंत्रालय) और सचिव (संस्कृति मंत्रालय) की सह-अध्यक्षता में ओवरसाइट तथा विजन समिति- प्रस्तावों की जांच तथा अनुमोदन और परियोजना दिशा निर्देशों को अद्यतन बनाना

- महानिदेशक (पर्यटन मंत्रालय) और महानिदेशक (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की सह-अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति- कार्यान्वयन, प्रक्रिया सुधार तथा हित धारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने संबंधी मुद्दों का निपटान
- संयुक्त महानिदेशक (पर्यटन), निदेशक (संस्कृति मंत्रालय) और निदेशक (स्मारक-II, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की सह-अध्यक्षता में स्मारक समिति-सेवाओं की निगरानी और निर्माण कार्य के कार्यान्वयन एवं आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में स्मारक मित्रों की सहायता।

यह समितियां किसी स्मारक/स्थल के स्वामित्व तथा स्वरूप के आधार पर संबंधित हितधारकों अर्थात् राज्य सरकार (पर्यटन विभाग, वन विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आदि) में से सदस्यों का चयन कर सकती हैं।

झारखंड में ऐसा कोई स्मारक नहीं है जिसके लिए एक विरासत को अपनाएं परियोजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन प्रदान किया गया हो।

(ग): झारखंड राज्य में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

अनुबंध

एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के अंतर्गत परियोजनाएं के सम्बन्ध में दिनांक 22.03.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +4298 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण

झारखंड राज्य में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

झारखंड राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची: -

क्र.सं.	स्मारकों/स्थलों का नाम	स्थान	जिला
1	एक पुराने किले का स्थल	रुआम	पूर्वी सिंहभूम
2	पैलेस और मंदिर परिसर, नवरतनगढ़	नगर	गुमला
3	असुर स्थल	हैसा	खूंटी
4	असुर स्थल	कथारटोली	खूंटी
5	असुर स्थल	खूंटी टोला	खूंटी
6	असुर स्थल	कुंजला	खूंटी
7	असुर स्थल	सरदकेल	खूंटी
8	अंदर एक छोटा से एक शिव लिंग सहित प्राचीन पाषाण मंदिर	खेकपतरा	लोहरदगा
9	हरडीह में मंदिर	हरडीह	रांची
10	संभावित भूमिगत प्रकोष्ठों और उच्चे टीले पर मार्ग स्टैंडिंग के साथ बारादरी भवनों के अवशेष	अरजी मुखीमपुर	साहिबगंज
11	जामा मस्जिद	हदफ	साहिबगंज
12	प्राचीन टीला जिसे स्थानीय रूप से कुलुगढ़ और बसपुत के नाम से जाना जाता है	ईतागढ़	सरीकेला खरसावां
13	उपरोक्त टैंक के दक्षिण-पूर्वी तट पर मंदिरों और मूर्तियों के पुराने अवशेष हैं	बेनीसागर	पश्चिम सिंहभूम

झारखंड राज्य में राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची।

क्र.सं.	स्मारकों/स्थलों का नाम
1.	पलामू किला (बेतला, लातेहार)
2.	मलूटी मंदिर समूह (शिकारीपारा, दुमका)
3.	जगन्नाथपुर मंदिर (नामकुम, रांची)
4.	टंगीनाथ मंदिर (डुमरी, रांची)
5.	संगिदलन (राजमहल, साहेबगंज)
6.	पुराना राजा गेट और बौलिया तालाब (पद्म, हजारीबाग)